

28.07.2022:- आज यह पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र ( स्थगन प्रार्थन-पत्र ) में आगामी कार्यवाही नहीं करना चाहता व प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूक्त में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official